



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19062026-273611  
CG-MH-E-19062026-273611

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3068]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2026/ज्येष्ठ 27, 1948

No. 3068]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिमी रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 17 जून, 2026

का.आ. 3190(अ).— वहीं भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में क्रमांक सा.का.नि. 747 (अ) , दिनांक 10 अक्तूबर , 2025 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) में प्रकाशित और रेलवे अधिनियम, 1989 (24) की धारा 20ए की उपधारा (1) के तहत जारी किया गया। 1989 का ) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) केन्द्र सरकार ने विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के उद्देश्य के लिए उक्त अधिसूचना से जुड़ी अनुसूची में निदिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित किया, गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले में विजापुर-अंबलियासन गेज रूपांतरण परियोजना (पश्चिम रेलवे); और, जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् “ दिव्य भास्कर (गुजराती), यंग लीडर (हिन्दी) , टाइम्स ऑफ इंडिया (इंग्लिश) में दिनांक 14.10.2025 को उप के तहत प्रकाशित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 20 ए की धारा (4); और, जबकि आपत्तियां प्राप्त हुई थीं और उन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और अनुमति नहीं दी गई है और तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं; और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (1) के अनुसरण में , सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है;

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि यहां संलग्न अनुसूची में निदिष्ट भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किया जाएगा;

और, इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने घोषणा की आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, इसके जुड़ी अनुसूची में निदिष्ट भूमि पूरी तरह से निहित हो जाएगी। केंद्र सरकार सभी बंधनों से मुक्त,

अनुसूची						
गुजरात राज्य में स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट: विजापुर-अंबलियासन गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ या बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के एक्वायर की जाने वाली ज़मीन की छोटी जानकारी। गुजरात राज्य जिला महेसाणा तालुका विजापुर						
क्रमांक।	गाँव	(सर्वेक्षण संख्या)	भूमि का प्रकार	भूमि उपयोग	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (वर्ग मीटर)	मालिक का नाम
1	गवाडा	1570	निजी भूमि	कृषि	2	पटेल सूर्यकांत मगनभाई
2	कुकरवाडा	611	निजी भूमि	कृषि	2	ठाकुर कालूजी रामाजी , ठाकुर विष्णुभाई रामजी
3	कुकरवाडा	625	निजी भूमि	कृषि	13	पटेल शकरीबेन विट्टलभाई , पटेल भरतभाई विट्टलभाई , पटेल भूपेंद्रभाई विट्टलभाई , पटेल जितेंद्रकुमार विट्टलभाई , पटेल विष्णुभाई विट्टलभाई .
4	कुकरवाडा	984	निजी भूमि	कृषि	357	पटेल गोविंदभाई सांकलचंद

[फा. सं. ई-510142-04]

डी.आर. चौधरी, मुख्य परियोजना प्रबंधक (सी)-I

## MINISTRY OF RAILWAYS

### [Western Railways (Construction Organization)]

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 17th June, 2026

**S.O. 3190(E).**— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), Number S.O.N. 747A1, dated 10th October, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (I) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred in as the said act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to be said notification for the Purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Vijapur-Ambaliyasan Gauge Conversion Project (Western Railway) in the District of Mahesana in the State of Gujarat;

And, whereas the of the said notification was published in the daily newspapers namely the "Divya Bhankar" (Gujarati), Young Leader – (Hindi) & "The Times of India" (English), dated 14 October 2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act

And, whereas objections were received and same have been considered and disallowed by the competent authority and accordingly orders have been passed.

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefor, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the central Govt. hereby declares that the land specified in the Schedule Annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose

And, Further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declared that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

<b>SCHEDULE</b>						
<b>Special Railway Project in Gujarat State: Brief details of land to be acquired with or without infrastructure for Vijapur-Ambaliyasan Gauge Conversion Project. State of Gujrat District Mahesana Taluka Vijapur</b>						
<b>Sr. No.</b>	<b>Village</b>	<b>(Survey No.)</b>	<b>Land Type</b>	<b>land use</b>	<b>Area to be acquired (sq. mts.)</b>	<b>Name of Owner</b>
1	Gawada	1570	Pvt.land	Agriculture	2	Patel Suryakant Maganbhai
2	Kukarvada	611	Pvt.land	Agriculture	2	Thakor Kaluji Ramaji, Thakor Vishnubhai Ramaji
3	Kukarvada	625	Pvt.land	Agriculture	13	Patel Shakriben Vithalbhai, Patel Bharatbhai Vithalbhai, Patel bhupendrabhai Vithalbhai, Patel Jitendrakumar Vithalbhai, Patel Vishnubhai Vithalbhai.
4	Kukarvada	984	Pvt.land	Agriculture	357	Patel Govindbhai Sankalchand

[F. No. E-510142-04]

D. R. CHAUDHARY, Chief Project Manager (C)-I